

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार,
संख्या: 45/प्र0प0प0(संशोधित)-2012/अतिगोपन-2/2014-15
हरिद्वार : दिनांक : 17 सितम्बर, 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2014 को आयोजित प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक स्क्रीनिंग परीक्षा - 2012 के आधार पर दिनांक 18 जुलाई, 2014 को घोषित परीक्षा परिणाम से संबंधित अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया जाता है :-

POSTNAME: (11) LECTURER PHYSICS


300873	301214	313565	313766
--------	--------	--------	--------

नोट :-

1- उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके परम्परागत आवेदन पत्र में किये गए दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गए दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना शेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार के पूर्व समस्त दावों एवं अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उनका अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

2- प्रश्नगत पद के साक्षात्कार परीक्षा की तिथि हेतु आयोग की वेबसाइट WWW.UKPSC.GOV.IN का अवलोकन करें।

3- उक्त परीक्षा परिणाम मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लंबित रिट याचिका संख्या : 305/2013 (S/B) श्री खगेन्द्र अवरथी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या : 111/2014 (S/B) श्री पूरन सिंह राणा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या : 67/2011 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।


(एस०एन० पण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा० अध्यक्ष/निजी सचिव मा० सदस्यगण को मा० अध्यक्ष/मा० सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. अनुभाग अधिकारी, सेवा अनुभाग-2 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई०टी० अनुभाग को उक्त परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कराने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी डाक/डिस्पैच अनुभाग को इस आदेश के साथ कि अभ्यर्थियों द्वारा मांगी गयी सूचना से अवगत कराये जाने हेतु।


सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार,

संख्या: 46/प्र0पॉ0प0(संशोधित)-2012/अतिगोपन-2/2014-15

हरिद्वार : दिनांक : 17 सितम्बर, 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2014 को आयोजित प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक स्क्रीनिंग परीक्षा - 2012 के आधार पर दिनांक 18 जुलाई, 2014 को घोषित परीक्षा परिणाम से साक्षात्कार हेतु अनुक्रमांक - 313592 एवं 314019 को औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया था, उक्त के संबंध में अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरांत उक्त निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों का पूर्व में घोषित परीक्षा परिणाम निरस्त किया जाता है :-

POSTNAME: (11) LECTURER PHYSICS

313592	314019
--------	--------

नोट :-

1- उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके परम्परागत आवेदन पत्र में किये गए दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गए दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना शेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार के पूर्व समस्त दावों एवं अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मा0 आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उनका अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जायेगा।

2- विज्ञप्ति संख्या 16/प्र0पॉ0प0-2012/अतिगोपन-2/2014-15, दिनांक 18 जुलाई 2014 द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- प्रश्नगत पद के साक्षात्कार परीक्षा की तिथि हेतु आयोग की वेबसाइट WWW.UKPSC.GOV.IN का अवलोकन करें।

(एस०एन० पाण्डेय)

सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव मा० अध्यक्ष/निजी सचिव मा० सदस्यगण को मा० अध्यक्ष/मा० सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. अनुभाग अधिकारी, सेवा अनुभाग-2 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई०टी० अनुभाग को उक्त परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कराने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी डाक/डिस्पैच अनुभाग को इस आदेश के साथ कि अभ्यर्थियों द्वारा मांगी गयी सूचना से अवगत कराये जाने हेतु।

सचिव